भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या998

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

नक्सल-रोधी योजना के अंतर्गत अतिरिक्त जिले

998. डॉ0 प्रभाकर कोरेः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार केरल-तमिलनाडु-कर्णाटक के जंक्शन पर स्थित और अधिक जिलों को नक्सल-विरोधी योजना के अंतर्गत शामिल करने का विचार रखती है;
(ख) यदि हां, तो सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) योजना के अंतर्गत कितने अतिरिक्त जिलों को शामिल किया जाएगा; और
(ग) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) से (ग): वर्तमान समय में, 10 वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के 106 जिलों को राज्य सरकारों द्वारा वामपंथी उग्रवाद-रोधी अभियानों पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) स्कीम के तहत शामिल किया गया है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के किसी भी जिले को वर्तमान में एसआरई स्कीम के तहत शामिल नहीं किया गया है। एसआरई स्कीम के तहत जिलों को शामिल करना/हटाना उन राज्यों में हिंसा की स्थिति पर आधारित होता है और यह बगैर समय-सीमा की एक सतत प्रक्रिया है।

*****